



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

राजसिंह बनाम तहसीलदार (खा.फौज)

रसम मुकदमा पत्रावली 111-120 नं० 99 सन् 2021

| क्र | हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|-----|--|--|
| 21 | <p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें । पत्रावली दिनांक 18-1-22 को पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल</p> | |
| 22 | <p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थना उपस्थित, तहसीलदार माण्डल से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थना का प्रार्थना पत्र एसी कर दिया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फौजल सुमार होकर नम्बर से कम है।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p> | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सवसैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 99/21 प्रा-पग

1- श्री गजसिंहजी अमरसिंह राजपूत निवासी-बाढियास तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- राज्यस्वामि राज्य परिषद तहसीलदार साह माण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 29-03-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....बाढियास.....पटवार हल्का.....दुवाला.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 444/307.....कुल किता 01.....रकबा 0.5059 एकड़.....बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतादायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21-12-21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....बाढियास पटवार हल्का.....दुवाला.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 444/307.....कुल किता 01.....रकबा 0.5059 एकड़.....बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक साह को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथारेथति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल-खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा